

अनुसूची 33  
(विनियम 36(2) देखें)  
दत्तक ग्रहण आदेश का प्रारूप  
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, राजसमंद

जिला: राजसमंद

राज्य: राजस्थान

राजसमंद जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष।

दत्तक ग्रहण आवेदन संख्या: 02 वर्ष 2023

अभिहित पोर्टल पर भावी दत्तक माता-पिता का पंजीकरण संख्या: PrPu14510965

दत्तक ग्रहण आदेश का प्रकार (कृपया ✓ का चिन्ह लगाए)

1.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 10,11,12 और 13 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(1), 58 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक या बालकों का देश के भीतर दत्तकग्रहण ।	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 15, 16, 17 और 18 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 56(4), 59 और 61 के अधीन अनाथ या परित्यक्त या अभ्यर्षित बालक या बालकों का अंतर-देशीय दत्तकग्रहण ।	<input type="checkbox"/>
3.	दत्तकग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 54 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2(52),56(2) और 61 के अधीन नातेदार का देश के भीतर दत्तकग्रहण ।	<input type="checkbox"/>
4.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 56, 57,58 और 59 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 2(52), 60 और 61 के अधीन नातेदार (पारिवारिक अथवा सौतेले) अंतर-देशीय दत्तकग्रहण ।	<input type="checkbox"/>
5.	दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के विनियम 55 के साथ पठित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 की धारा 39(1), 56(1) और 57(5) और 61 के अधीन सौतेले बालक का देश के भीतर दत्तकग्रहण ।	<input type="checkbox"/>



(2)

भाग: 1

- (क) आवेदक/आवेदकों का नाम और पता (भावी दत्तक माता-पिता):- श्री सर्वप्रीत सिंह एवं श्रीमती इशप्रीत कोर निवासी स्थाई पता : ए-504, एडब्ल्यू फ्लेट्स, हरभजन विहार, अनसल सेक्टर 114, खरार लेनरेंड रोड, लेनरेंड एसएस नगर, मोहाली (पंजाब) 140307
- (ख) मान्यता प्राप्त विशिष्ट दत्तक अभिकरण का नाम और पता (नातेदार या सौतेले बालक के दत्तक ग्रहण के मामले में लागू नहीं):- राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी, राजसमंद पता:- (शिशु गृह) गोरजी कालाजी मंदिर के पीछे, कलालवाटी, राजनगर तहसील व जिला राजसमंद
- (ग) जिला बाल संरक्षण इकाई का नाम और पता:- सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग परिसर, पुरानी कलेक्ट्रेट, राजसमंद
- (घ) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण:- राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, 20/198 कावेरी पथ मानसरोवर बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।

भाग: 2

- (क) यह कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी (शिशु गृह) जिला राजसमंद (राज0) द्वारा जिला बालक संरक्षण इकाई, राजसमंद के माध्यम से 19.07.2019 को दत्तक ग्रहण का आवेदन फाईल किया गया है और दत्तक ग्रहण विनियम की अनुसूची 6 के साथ पठित अनुसूची 9 में तथा उपबंधित जांच सूची में नियत दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित कर लिया गया है। (नातेदार या सौतेले बालक के दत्तक ग्रहण के मामले में, आवेदन सीधे जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा प्रस्तुत किया जाए)
- (ख) यह कि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया अब सभी प्रकार से पूर्ण हो गई है और तदनुसार मैं, श्री सर्वप्रीत सिंह एवं श्रीमती इशप्रीत कोर भावी दत्तक माता-पिता, जिनका रजिस्ट्रेशन संख्या **PrPu14510965** है के साथ बालक मनतेग सिंह (लड़का) जन्म दिनांक **13.12.2022** (बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र होना प्रमाणित किया गया) के दत्तक ग्रहण की अनुमति देता हूँ:-

- (i) भावी दत्तक माता-पिता अर्थात् श्री सर्वप्रीत सिंह एवं श्रीमती इशप्रीत कोर दत्तक ग्रहण के लिए पात्र और उपयुक्त पाए गए हैं [देश के भीतर दत्तक ग्रहण के मामले में दत्तक ग्रहण समिति के कार्यवृत्त के आधार पर]:



*(Handwritten signature)*

(3)

- (ii) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 में यथाउपबंधित सम्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।
- (iii) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 की धारा 63 के अनुसार पुराना नाम हिमांशु एवं नया नाम मनतेग सिंह (लड़का) जन्मतिथि 13.12.2022 जिसके संबंध में आज दिनांक 09.05.2023 को एक दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया है, दत्तक ग्रहण आदेश के प्रभावी होने की तारीख से निर्वसीयतता सहित सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार दत्तक माता-पिता श्री सर्वप्रीत सिंह एवं श्रीमती इशप्रीत कोर की संतान बन जाएगा और दत्तक माता-पिता बालक के माता-पिता बन जाएंगे जैसे की बालक का जन्म दत्तक माता-पिता से हुआ हो और इसी तारीख से बालक के जन्म लेने वाले परिवार के साथ बालक के सभी संबंध समाप्त माने जाएंगे और दत्तक ग्रहण आदेश द्वारा दत्तक ग्रहण परिवार में सृजित संबंधों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। अब शिशु हिमांशु को मनतेग सिंह (लड़का) के नाम से जाना जाए।
- (iv) आयुक्त, नगरपरिषद, राजसमंद जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 (1869 का 18) के तहत अधिसूचित स्थानीय रजिस्ट्रार को, भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार, माता-पिता के रूप में दत्तक आदेश में उल्लिखित दत्तक माता-पिता का नाम और बालक की जन्म तिथि को समाविष्ट करते हुए विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी या दत्तक माता-पिता द्वारा फाईल आवेदन पर दत्तक बालक के पक्ष में पाँच दिन के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाता है।
- (v) बालक परित्यक्त बालक है, विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण अथवा जिला बालक संरक्षण इकाई द्वारा अभिहित पोर्टल पर बालक की प्रास्थिति अद्यतन की जाए।



(नीलाभ सकसेना)  
जिला मजिस्ट्रेट  
राजसमंद (राजस्थान)